184

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 94–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 710/अ–6/07–08 निगरानी

चन्द्रकिशोर पुत्र गजाधर गंगेले
निवासी मझपटिया मोहल्ला, लौड़ी
तहसील–लौड़ी जिला–छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

हरिशंकर पुत्र गजाधर गंगेले (मृतक)
बारिश

1– अनिल उर्फ अखिलेश पुत्र स्व. हरिशंकर गंगेले

2– उपेन्द्र पुत्र स्व. स्व. हरिशंकर गंगेले

3– जितेन्द्र पुत्र स्व. हरिशंकर गंगेले

4– भागवतप्रसाद पुत्र स्व. हरिशंकर गंगेले

5– अर्चना पुत्री स्व. हरिशंकर गंगेले
समस्त निवासीगण मझपटिया मोहल्ला पोस्ट
आफिस के पास लौड़ी तह. लौडी जिला छतरपुर

6– विमलेश पुत्री स्व. हरिशंकर गंगेले पत्नी रामकिशोर दीक्षित
निवासी कंठी मोहल्ला तहसील लौड़ी जिला छतरपुर

7– प्रेमिला पुत्री स्व. हरिशंकर गंगेले पत्नी श्यामसुंदर द्विवेदी
निवासी ग्राम अर्जुनाह तहसील अतर्रा जिला बांदा (उ.प्र.)

8– म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक आवेदक

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक अनावेदक 1 ता 4

पूर्व से एकपक्षीय अनावेदक 5 ता 7

श्री राजीव गोतम अभिभाषक अनावेदक कं. 8

आदेश

(आज दिनांक 18 –10–2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 710/अ–6/07–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.09.2008 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदक/ अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।

3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा देवपुर भूमि ख.नं. 68, 69, 70, 71, 75, 76/1, 80 कुल किता 7 तहसील लौड़ी जिला छतरपुर में स्थित कुल रकवा 13.506 है0 तथा ख.नं. 79, 170 किता 2 रकवा 4.030 है0 भूमि के भूमिस्वामी गजाधर थे गजाधर की मृत्यु होने पर वारिशान नामांतरण हेतु हल्का पटवारी ने विवादित मानकर नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो रा.प्र.क्र. 12/अ–6/04–05 पर पंजीबद्ध कर आवेदक को नोटिस भेजा गया आवेदक ने तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर वादभूमि हिस्सेनुसार 1/2, 1/2, भाग पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया तत्पश्चात तहसील न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर अपने आदेश दिनांक 29.11.2005 द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर गजाधर (मृतक) के स्थान पर हरीशंकर के नाम दर्ज किये

जाने का आदेश पारित किया। आदेश दिनांक 29.11.2005 के विरूद्ध आवेदक चन्द्रकिशोर ने अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी के समक्ष दिनांक 20.04.2006 को धारा 5 आवेदन के साथ अवधि बाह्य अपील पेश की। अपील की सुनवाई दौरान अनावेदक हरीशंकर (मृतक) ने प्रकरण प्रचलन योग्य न होने से, समय बाधित होने से निरस्त किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया। आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 17.10.2006 द्वारा अपील समय सीमा में मान्य किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक हरीशंकर (मृतक) ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी पेश की जो आदेश दिनांक 22.09.07 द्वारा निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक हरीशंकर (मृतक) ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी पेश की। अपर आयुक्त सागर द्वारा प्र. क्र. 710/अ–6/07–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.09.08 से अपर कलेक्टर छतरपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17.10.2006 निरस्त किया। इसी आदेश से दुःखी होकर यह निगरानी की गई है।

4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि गजाधर गंगेले पुत्र गनेश के नाम दर्ज थी गजाधर के मृत होने अनावेदक हरीशंकर (मृत) ने बाद भूमि आपसी बटवांरा में प्राप्त होना एवं काबिज कृषि कर रहा हूँ इस आधार पर गजाधर के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने बावत आवेदन तहसील न्यायालय में पेश किया था तहसील न्यायालय ने हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया जिसमें

गजाधर के दौ पुत्र हरीशंकर एवं चन्द्रकिशोर बताये गये लेकिन मौके पर हरीशंकर ही खेती कर रहा है। चन्द्रकिशोर ने अपने कथन में बताया है कि हम दोनों भाईयों के बीच वाहमी बटवांरा हो चुका है रिकार्ड में अभी नहीं हुआ है देवपुरी की सम्पूर्ण भूमि पर हरीशंकर का कब्जा है। देवपुर की भूमि के बदले चन्द्रकिशोर के पास मड़ार, झूमर, मौजा, बगमऊ में भूमि प्राप्त हुई है। देवपुर की भूमि हरीशंकर को प्राप्त हुई उसी का कब्जा होकर कृषि कर रहा है। इसकी पुष्टि हल्का पटवारी, हरीशंकर स्वयं एवं साक्षियों के कथन एवं आवेदक चन्द्रकिशोर के कथन से पुष्टि हुई उक्त आधारों पर तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2005 से ग्राम देवपुर की भूमि खनं. 68, 69, 70, 71, 75, 76/1, 80, कुल किता 7 कुल रकवा 3.506 है0 तथा ख.नं. 79, 170 किता 2 रकवा 4.030 है0 भूमियों पर गजाधर के बजाए हरीशंकर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध जब आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील की अनुविभागीय अधिकारी ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया कि तहसील न्यायालय में चन्द्रकिशोर ने दिये गये कथन में स्वीकार किया था कि ग्राम देवपुर की भूमि पर हरीशंकर का कब्जा है। इस प्रकार चन्द्रकिशोर तहसील न्यायालय में उपस्थित था उसकी जानकारी में कार्यवाही संपादित होकर आदेश पारित हुआ था। उसके बाद चन्द्रकिशोर ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपीलप`श की दिन प्रतिदिन का कोई कारण नहीं बताया तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी कैसे हुई धारा–5 आवेदन में इस बावत कोईलेख नहीं है विलंब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाये अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त

तथ्यों पर विचार किये बिना अवधि बाह्य अपील को समय सीमा में मान्य किये जाने में त्रुटि की थी। अपर कलेक्टर छतरपुर ने भी उक्त आदेश की पुष्टि करने में भूल की अपर आयुक्त सागर ने पारित आदेश में विस्तृत व्याख्या करते हुये अपर कलेक्टर छतरपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है परिणामतः अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2008 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर